


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5825/2018/खरगोन/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 13-3-2019 | <p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा करही तहसील महेश्वर के आदेश दिनांक 8-6-17 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11-9-18 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची के संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही आवेदक की उपस्थिति में किया जाकर, पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों एवं आवेदक के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी प्रारंभ से रही है। उपरोक्त स्थिति में विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं हैं। 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरुद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-</p> <p>”धारा 5-व्याप्ति -अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं हैं-पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता।“</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p> <p> १३२</p> | |